सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
भाद्र 27, गुरूवार, *शाके* 1947- सितम्बर 18, 2025 Bhadra 27, Thursday, Saka 1947- September 18, 2025	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 16, 2025

जी.एस.आर.69 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 19क का प्रतिस्थापन.- राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के विद्यमान नियम 19क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

'' **19क. परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण.-** सेवा में के पद पर सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार आयोग द्वारा अनुसूची-।। में विनिर्दिष्ट स्कीम और पाठ्य विवरण के अनुसार संचालित किये जायेंगे।

3. नियम 20 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 20 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

'' **20. आयोग की सिफारिश.-** आयोग लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर, योग्यता क्रम में व्यवस्थित ऐसे अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा, जिन्हें वह संबंधित पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे और तब आयोग ऐसी सूची सरकार को अग्रेषित करेगा। आयोग ऐसे किसी भी अभ्यर्थी की सिफारिश नहीं करेगा जो लिखित परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 36 प्रतिशत अंक और कुल मिलाकर 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में असफल रहता है:

परंतु,-

(i) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए यथा उपर्युक्त नियत प्रतिशत में 5 प्रतिशत तक का शिथिलीकरण किया जायेगा।

(ii) आयोग चयन से पूर्व अंतत: प्रज्ञापित की गयी विज्ञापित रिक्तियों की 100 प्रतिशत की सीमा तक, उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम आरक्षित सूची में रख सकेगा। आयोग, अध्यपेक्षा किये जाने पर, आयोग द्वारा मूल सूची सरकार को अग्रेषित किये जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर, सरकार को ऐसे अभ्यर्थियों के नाम की योग्यता क्रम में सिफारिश कर सकेगा।"

4. अनुसूची-।। का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची-।। में शीर्ष ख. साक्षात्कार के अधीन विद्यमान खण्ड, (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ii) ऐसे अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा में ऐसे न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करते हैं जो, लिखित परीक्षा में न्यूनतम अंकों से संबंधित नियम 20 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, आयोग द्वारा नियत किये जायें, उनके द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाये जायेंगे।

[सं. एफ.1(6)डीओपी/ए-II/84पार्ट]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
दिनेश कुमार शर्मा,
संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, September 16, 2025

G.S.R.69 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Educational Service (Collegiate Branch) Rules, 1986, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Educational Service (Collegiate Branch) (Second Amendment) Rules, 2025.
(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Substitution of rule 19A.- The existing rule 19A of the Rajasthan Educational Service (Collegiate Branch) Rules, 1986, hereinafter referred to as the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

"19A. Scheme and Syllabus of Examination.- The written examination and interview for direct recruitment to the post in the service shall be conducted by the Commission as per Scheme and Syllabus specified in Schedule-II."

3. Substitution of rule 20.- The existing rule 20 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"20. Recommendation of the Commission.- The Commission shall prepare a list of candidates, on the basis of aggregate marks obtained in written examination and interview, whom they consider suitable for appointment to the posts concerned, arranged in order of merit and then the Commission shall forward the list to the Government. The Commission shall not

recommend any candidate who has failed to obtain a minimum of 36% marks in each paper and 40% marks in aggregate of written examination:

Provided that,-

(i) the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(ii) the Commission may also to the extent of 100% of the advertised vacancies finally intimated before the selection keep names of suitable candidates on the reserve list. The Commission may on requisition, recommend the name of such candidates in order of merit to the Government within one year from the date of which the original list is forwarded by the Commission to the Government."

4. Amendment of Schedule-II.- The Schedule-II appended to the said rules, the existing clause (ii) under head B. Interview shall be substituted by the following, namely:-

"(ii) The candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination, as may be fixed by the Commission in their discretion, subject to provisions of rule 20 regarding minimum marks in written examination, shall be summoned by them for interview."

[No. F. 1(6)DOP/A-2/84pt.]
By order and in the name of the Governor,
DINESH KUMAR SHARMA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.